छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 2528/02/परीक्षा/2009 रायपुर, दिनांक 1 FEB 2019

"राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2018 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना"

आयोग के विज्ञापन क्र. 07/2018/परीक्षा दिनांक 01.10.2018 के तहत् राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2018 की लिखित परीक्षा दिनांक **17 फरवरी 2019 (रविवार)** को दो सत्रों में 16 जिला क्रमश–सरगुजा (अम्बिकापुर), बैकुण्ठपुर (कोरिया), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग (भिलाई), दंतेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

2/ उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10+2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।

2.1/ अभ्यर्थी उक्त परीक्षाओं में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर, स्मार्ट फोन, स्मार्ट वाच अथवा किसी भी प्रकार के संचार साधन लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2.2/ यदि परीक्षा केन्द्र परिसर में कहीं भी कोई भी मोबाइल फोन चालू पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग का प्रकरण बनाया जाएगा चाहें अभ्यर्थी द्वारा उसका प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं।

2.3/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

1/2/19

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर